झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (विविध)—22/2022 - 996

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः— 4.12.2023

विषयः— **आयोग के पाकुड़, साहेबगंज, देवघर एवं गिरिडीह जिलों के भ्रमण के दौरान प्राप्त शिकायतों/सुझावों के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्या द्वारा दिनांक—19.09.2023 से दिनांक—23.09.2023 तक पाकुड़, साहेबगंज, देवघर एवं गिरिडीह जिलों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत् संचालित योजनाओं का निरीक्षण, सुनवाई/जनसुनवाई एवं इन जिलों के विभिन्न पंचायतों के मुखियागण के साथ संवाद किया गया। उक्त के क्रम में आयोग के संज्ञान में आये निम्न मामलों में विभाग से पत्राचार किये जाने का निदेश प्राप्त हैः—

1. पाकुड़ जिला में मुखिया संवाद के दौरान सुझाव प्राप्त हुआ कि जिस माह का अनाज राशन डीलरों को भेजा जा रहा हो एवं डीलरों की आवंटन की सूचना पणन पदाधिकारी द्वारा संबंधित पंचायत के मुखिया को दी जाय।
2. साहेबगंज जिला मे मुखिया संवाद के दौरान श्रीधर दियारा पंचायत के मुखिया द्वारा सुझाव दिया गया कि जो राशन कार्ड रद्द करने के लिए जिला कार्यालय में दिया जाता है जिस पंचायत का राशन कार्ड रद्द होता है, तो उसी पंचायत के लाभुकों का राशन कार्ड बनाया जाना चाहिए।
3. साथ ही यह भी बताया गया कि कई राशन डीलर राशन का वितरण करते हैं, किन्तु यदि वे ई—पॉस मशीन में सही ढ़ंग से Entry नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अगले माह आवंटन कम मिलता है। एवं डीलर द्वारा लाभुकों को कम राशन दिया जाता है। मुखिया द्वारा सुझाव दिया गया कि ऐसी स्थिति में डीलर के वितरण पंजी के आधार पर उन्हें आवंटन दिया जाय।
4. देवघर जिला के मुखिया संवाद के दौरान मुखिया संघ के महामंत्री द्वारा बताया गया कि राशन डीलर द्वारा मुखिया के समक्ष राशन का वितरण नहीं किया जाता है। साथ ही अनुरोध किया गया कि डीलर को मिलने वाले आवंटन से संबंधित जानकारी मुखिया को दी जाय।
5. गिरिडीह जिला में मुखिया संवाद के दौरान देवरी प्रखण्ड के बेड़ोडीह पंचायत द्वारा सुझाव दिया गया कि शिकायत दर्ज करने हेतु प्रखण्ड एवं उसके निचे स्तर पर भी शिकायत केन्द्र होनी चाहिए।

अतः अनुरोध है कि आयोग के भ्रमण के दौरान संज्ञान में आये उपरोक्त बिन्दुओं/सुझावों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0— पाकुड़, साहेबगंज, देवघर एवं गिरिडीह जिला भ्रमण प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन

4/12/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx596

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261